

डॉ. नीतू सिंह सेंगर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों ०३ /अप्रैल/2015 /दि.09.04.2015

अतिआवश्यकिय

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी अधिकारी,

खाद्य एवं रसद विभाग, जनपद फर्रुखाबाद।


विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु।
महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंह सेंगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित खाद्य एवं रसद विभाग उ.प्र. से संबंधित पूर्तियों की व्यवस्थाओं, उनके मानकों एवं भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रुखाबाद जिले में संचालित खाद्य एवं रसद विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राशन-कोटेदारों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद में संचालित खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों लाइसेंसधारक कोटेदारों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-04-2015


(डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow,
University Grant Commission, Delhi



डॉ. नीतू सिंह सेंगर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों सिने / मार्च / 2015 / दि. 12.03.2015

अतिआवश्यकिय

सेवा में,

जिलाविद्यालय निरीक्षक,

फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के साधारण जनसमाज-दरिद्रों के शिक्षण निरीक्षण अध्ययन में सहयोग हेतु।
महोदय,

मैं डॉ. नीतू सिंह सेंगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण-अध्ययन में कार्यरत हूं तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं में शिक्षण समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित सरकारी एवं गैर-सरकारी तथा सार्वजनिक-निजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं आदि विद्यालयों की व्यवस्था एवं उनके मानकों की स्थितियों को जानने हेतु जनपद फर्रुखाबाद में संचालित विद्यालयों के पदाधिकारियों व प्रबंध समिति सदस्यों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद में संचालित सरकारी, गैर-सरकारी, अनुदानित, गैर-अनुदानित, स्ववित्तपोषी सार्वजनिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत पदाधिकारियों एवं प्रबंध समितियों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-12-03-2015


(डॉ. नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

डॉ. नीतू सिंह सेंगर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)
पोस्ट डॉक्टरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों २३ / अप्रैल / 2015 / दि.09.04.2015

अतिआवश्यकिय

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु।
महोदय,


मैं डॉ.नीतू सिंह सेंगर, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित जिला विकास विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं, उनके मानकों एवं भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रुखाबाद जिले में संचालित विकास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद में संचालित जिला विकास विभाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-04-2015

 4-2015


(डॉ. नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002

DR. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

Duplicate SF FATEHGARH R.S. <209601>
EU436603216IN
Counter No:1,OP-Code:02
To:SUPERINTENDANT,POST OFFICE
FATEHGARH, PIN:209601
From:NEETU SINGH, DURGA COLONY FATEHGARH
Wt:50grams.
Amt:17.00,08/03/2016,12:44
Taxes:Rs.2.00<Track on www.indiabpost.gov>

भारतीय डाक

India Post

तोमर, एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टरल फेलो

जन आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

निवासपता/मार्च /दि.07.3.2016

मोबाइल-09389766228, 7376681850

अति-आवश्यकिय एवं त्वरित कार्यवाही हेतु

सेवा में,
डाक अधीक्षक,
डाकघर फतेहगढ़,
जनपद-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय:-मेरे संशोधित पता म.सं. 79/180, दुर्गाकालोनी, लोकोरोड,फतेहगढ़ पर डाक उपलब्ध कराने हेतु महोदय,

मैं डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) पत्नी एन.सिंह सेंगर जो कि स्व.श्री लालाराम मिश्रा के मकान संख्या-1/36 बजाजा फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद, पिन.209601 में सपरिवार निवास कर रही थीं तथा दिनांक 29-2-2016 को अपने किराए के निवास में परिवर्तन कर वर्तमान में श्री चंद्रपाल सिंह गहरवार के मकान संख्या 79/180, दुर्गाकालोनी, भदौरिया वाली गली, लोकोरोड, भोलेपुर, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद, पिन-209601 में निवासी हूँ तथा मैं डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) या मेरे पति एन.सिंह सेंगर के पूर्व पता 1/36, बजाजा, फतेहगढ़ के नाम से आने वाले पत्र-डाक को अपने वर्तमान निवास पता मकान संख्या 79/180, दुर्गा कालोनी, भोलेपुर, फतेहगढ़ के पते पर प्राप्त करना चाहती हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) या नरेन्द्र सिंह सेंगर के नाम से पूर्व निवास पता मकान संख्या 1/36, बजाजा, फतेहगढ़ पर आने वाले पत्र-डाक मेरे वर्तमान निवास पता मकान संख्या 79/180, दुर्गाकालोनी, भोलेपुर, फतेहगढ़ पर उपलब्ध करा कर, प्राप्त कराने का कष्ट करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-07-03-2016

भवदीया

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

एम.ए.,पी-एच.डी., समाजशास्त्र

पोस्ट डॉक्टरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

मोबाइल-9389766228, 7376681850

Post Office
University Grants Commission, Delhi

2096010101 <209601>
RLA RU395816934IN
Counter No:1, CP-Code:02
To: C. H. S.
FARRUKHABAD, PIN:209625



Wt: 20grams.
PS: 22.00. . 22/04/2017 . 11:34
<<Have a nice day>>

24-4-2017 at 18:18
Farrukh

डॉ. नीतू सिंह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो
भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक: 111 / अप्रैल / 2017 / दिनांक 20.04.2017

फोन 9389766228

सेवा में,

अति आवश्यकीय

सी.एम.एस.,

डॉ.आर.एम.लोहिया हास्पीटल-पुरुष,
आवास विकास, जनपद फर्रुखाबाद।

विषय: सामान्य जनता के लिए स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित व्यवस्था का अवलोकन में सहयोग हेतु।

महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (असिस्टेंट प्रोफेसर केंडर), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली-110002, दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण में कार्यरत हूँ। फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में स्वास्थ्य केंद्र डॉ.आर.एम.लोहिया हास्पीटल फर्रुखाबाद की चिकित्सा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति एवं रोगियों एवं उनके सहयोगियों की समस्याओं के अवलोकन-जनसम्पर्क में आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे है कि डॉ.आर.एम.लोहिया हास्पीटल फर्रुखाबाद की चिकित्सा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा रोगी एवं उनके सहयोगियों की समस्याओं के अवलोकन-जनसंपर्क में पदाधिकारियों सहित स्वयं अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

सदभावनाओं सहित।

भवदीया

(डॉ.नीतू सिंह तोमर)

दिनांक:-20.04.2017

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई-दिल्ली-110002
Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi



RL KOTWALI ROAD (209601)

A RU539406703IN

Counter No:1, OP-Code:02

To: PRINCIPAL, PREM KRISHNA GDC

Shahjahanpur H.O, PIN:242001

From: DR. NEETU SINGH, UNIVERSITY GRANT COMMISSION DE

Wt:20grams,

PS:22.00, 20/05/2017, 13:29

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

20-5-2017
17.57

डॉ. तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

न आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

निवास-अपरदुर्गा कालोनी, लोकोरोड, फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद-209601

पत्रांक-210/17/मई-17/दि.19.5.2017

मोबाइल-09389766228, 9455709093

सेवा में,

प्राचार्य,

पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित

प्रेम किशन खन्ना राजकीय डिग्री कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।

विषय: आप द्वारा प्रेषित पत्र पंजीकृत डाक संख्या आरयू587444410इन एवं संलग्न डॉ. उमेश कुमार शाक्य का स्पष्टीकरण

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्र जो मेरे द्वारा प्रेषित पत्रांक:214/17/मई-17/दि.1.5.2017 के संदर्भ में संगोष्ठी के संयोजक डॉ. उमेश कुमार शाक्य से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्नकों सहित आप द्वारा सूचनार्थ है। संलग्नक में डॉ. उमेश कुमार शाक्य द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण में वर्णित कथन असत्य एवं भ्रामक हैं। जबकि पुस्तक प्रकाशन में संगोष्ठी मानकों सहित पुस्तक के मुख्य-अंदर पृष्ठों पर कालेज का नाम, संपादक मंडल, कालेज प्राचार्य-समितियों के नाम व संगोष्ठी की गतिविधियों के विस्तृत विवरण की जबरदस्त उपेक्षा तथा पुस्तक के मुख्य एवं अंतिम पृष्ठ पर मात्र डॉ. उमेश कुमार शाक्य का नाम एवं उमेश के पिता श्री छोटे लाल शाक्य व माता श्रीमती सरोज शाक्य के चरणों में पुस्तक समर्पण व पुस्तक मूल्य 600 प्रकाशन बावजूद पुस्तक को संगोष्ठी मानकरूप कहना अनुचित एवं अवैध है।

महोदय, 12/2017-18/संगोष्ठी/दि.22.4.2017 के साथ संलग्नक एवं मूल्य लेकर उपलब्ध पुस्तक "भारत में उच्च शिक्षा दशा एवं चुनौतियाँ" जो कि नेशनल सेमिनार से प्रथक एवं डॉ. उमेश शाक्य के निजी स्व:लाभ तक सीमिति है और इस निजी पुस्तक में डॉ. शाक्य द्वारा जो मैटर प्रकाशित किया गया है वह जी.डी.सी. जलालाबाद में दि.27-28 फरवरी 2016 नेशनल सेमिनार में प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का मैटर होने के बावजूद पुस्तक में कालेज-सेमिनार संबंधी विवरण, सेमिनार कमेटी, कालेज प्राचार्य, सेमिनार वैधता के बारे में कुछ भी नहीं लिखकर अपने माता-पिता को पुस्तक समर्पित की गई है, जिसके कारण प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का दुरुपयोग से जहाँ डॉ. उमेश को पुस्तक का निजी लाभ सहित पुस्तक का मूल्य रु.600 लाभ प्राप्त हो रहा है वहीं प्रतिभागियों को सेमिनार का उद्देश्य अभी तक अधूरा बना हुआ है।

महोदय, डॉ. उमेश शाक्य ने जो स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए हैं वे पूर्णतया असत्य, भ्रामक एवं निरस्त होने योग्य हैं। डॉ. उमेश द्वारा निजी पुस्तक "भारत में उच्च शिक्षा : दशा एवं चुनौतियाँ" का मेरे सहित न जाने कितनों से पुस्तक मूल्य लेकर संपादन का निजी प्रकाशन-शैक्षिक लाभ लिया गया होगा? जिसमें संगोष्ठी में प्रस्तुतियों को जबरदस्त दुरुपयोग कर निजी लाभ हेतु प्रकाशित कराया है। प्रकाशन में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्देश्य, शोधपत्रों का दुरुपयोग व संगोष्ठी के मानकों की जबरदस्त उपेक्षा की गई है।

महोदय, राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रस्तुतियों के दुरुपयोग एवं सेमिनार मानकों की उपेक्षा से प्रकाशित अवैध व अमानक पुस्तक को निरस्त कर प्रस्तुतियों को मानकीय जर्नल में प्रकाशित कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, दि.27-28 फरवरी 2016 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रस्तुतियों के दुरुपयोग एवं संगोष्ठी मानकों की उपेक्षा से प्रकाशित अवैध-अमानक पुस्तक को तत्काल निरस्त कर, प्रस्तुतियों सहित मेरी प्रस्तुति उच्च शिक्षा:विद्या विधान एवं संस्थान (फर्रुखाबाद जनपद के कालेजों का वर्तमान स्वरूप) को सेमिनार-जर्नल में प्रकाशित कराकर प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आदर सहित।

भवदीया

दिनांक:-19-05-2017

(डॉ. नीतू सिंह-तोमर)

एम.ए. पी-एच.डी. समाजशास्त्र
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो
Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

डॉ. नीतू सिंह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)
पोस्ट डॉक्टरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक- 243 / 2017 / निवासपता / जौलाई / दि.31.07.2017

मोबाइल-09389766228, 7376681850

सेवा में,

अति-आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही हेतु

डाक अधीक्षक,

डाकघर फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय: मेरे संशोधित पता म.सं/171, आवास विकास (डायमंड पैलेस के सामने) पर पत्र उपलब्ध कराने हेतु

महोदय,

मैं डॉ. नीतू सिंह तोमर (सेंगर) पत्नी एन.सिंह सेंगर जो कि स्व.श्री लालाराम मिश्रा के मकान संख्या-1/36 बजाजा फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद, पिन.209601 को वर्ष 2016 में छोड़ने के उपरांत श्री चंद्रपाल सिंह गहरवार के मकान संख्या 79/180, दुर्गाकालोनी, लोकोरोड, भोलेपुर, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में सपरिवार निवास कर रही थीं तथा दिनांक 2-7-2017 को मैंने अपने किराए के निवास में परिवर्तन कर वर्तमान में श्री बाबूराम यादव के मकान संख्या 1/171, डायमंड पैलेस के सामने, आवास विकास, फर्रुखाबाद, पिन-209625 में निवासी हूँ तथा मैं डॉ. नीतू सिंह तोमर पत्नी एन.सिंह सेंगर के पूर्व पता पर आने वाले पत्र-डाक मेरे वर्तमान निवास पता डॉ.नीतू सिंह तोमर मार्पत श्री बाबूराम यादव के मकान संख्या 1/171, डायमंड पैलेस के सामने, आवास विकास, फर्रुखाबाद, पिन-209625 उपलब्ध कराए जाने हेतु दिनांक 4.7.2017 को श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर चुकी हूँ इसके बावजूद मेरे उक्त पते पर आने वाले पत्र मुझे उपलब्ध न होकर डाक विभाग द्वारा प्रेषक को वापस लौटाए जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि डॉ. नीतू सिंह तोमर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह सेंगर के पूर्व निवास पता मकान संख्या 1/36, बजाजा, फतेहगढ़ या म.सं.79/180, दुर्गाकालोनी, लोको रोड, भोलेपुर, पर आने वाले पत्र-डाक मेरे वर्तमान निवास पता डॉ.नीतू सिंह तोमर मार्पत श्री बाबूराम यादव के मकान संख्या 1/171, डायमंड पैलेस के सामने, आवास विकास, फर्रुखाबाद, पिन-209625 पर उपलब्ध करा कर, मुझे प्राप्त कराने की कृपा करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-31-07-2017

संलग्नक दि.04.7.2017 को प्रेषित पत्र की फोटोस्टेट प्रति

भवदीया

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

Recd Copy
A.P.M. (Mail)
Fatehgarh H.O.
Pin. 209 601

Block 06, 07, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 28, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

रजिस्ट्रार कार्यालय - 2897064870

(इडी) न अपना जा...
आवंटन सूची में नहीं आ सका।

पार्थी क्षीमान जिलाधिकारी महोदय का ध्यानाकृष्ट करने के लिए निम्न सूची जारी कर रहा है :-

- (1) $\frac{13}{194}$ $\frac{14}{224}$ → हिन्दू आवास पर एक ही मुस्लिम परिवार का अर्पण कब्जा।
- (2) $\frac{24}{372}$ $\frac{25}{387}$ → हिन्दू आवास पर एक ही मुस्लिम परिवार का अर्पण कब्जा।
- (3) $\frac{28}{447}$ → हिन्दू आवास पर एक मुस्लिम परिवार का अर्पण कब्जा।
- (4) $\frac{38}{544}$ → हिन्दू आवास पर मुस्लिम परिवार का अर्पण कब्जा।
- (5) $\frac{23}{356}$ → हिन्दू अनुसूचित जनजाति के आवास पर मुस्लिम परिवार का अर्पण कब्जा।
- (6) $\frac{21}{335}$ → हिन्दू आवास पर मुस्लिम परिवार का अर्पण कब्जा।
- (7) $\frac{17}{255}$ → हिन्दू आवास पर इसाई परिवार का अर्पण कब्जा।
- (8) $\frac{14}{214}$ → हिन्दू आवास पर इसाई परिवार का अर्पण कब्जा।
- (9) $\frac{14}{215}$ → अनुसूचित जाति को आवंटित आवास पर सामान्य जाति के परिवार का अर्पण कब्जा।
- (10) $\frac{37}{579}$ → स्वयं के लोहिया अस्पताल, फतेवाबाद का रिटायर्ड फार्मासिस्ट बताने वाले डॉ. हरीराम वर्मा द्वारा अर्पण कब्जा कर रहने के लिए बनाये गये आवास में दवाखाना संचालित किया जा रहा है।
- (11) $\frac{23}{366}$ → आवास संख्या $\frac{23}{365}$ में रहने वाले वरुंग दीपक पाण्डेय के संरक्षण में रहने के लिए बनाये गये आवास में जुआवा संचालित किया जा रहा है।
- (12) $\frac{15}{231}$ $\frac{15}{226}$ में रहने वाले स्वयंभू पत्रकार अजय वर्मा का अर्पण कब्जा।

P.T.O.

लक्ष्य - 1000 के गणना विभाग - अंबेदी-मोटरवाहन और मालवा

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

(2)

(13) $\frac{15}{236}$ → आवास संख्या $\frac{15}{227}$ में रहने वाले N.R.F.O. के दम्पति दलाल असलम का अर्वेध कब्जा।

(14) $\frac{15}{237}$ → अनुसूचित जाति को आवंटित आवास पर तहसील कामभगंज निवासी पिछड़ा वर्ग की सुनीता नामक महिला का अर्वेध कब्जा। ~~अर्वेध कब्जा~~ - ~~अर्वेध कब्जा~~ इस महिला को चारू विलीम वर्ष 2016-2017 में लोहिया आवास मिला हुआ है। - 0

(15) $\frac{15}{240}$ → आवास संख्या $\frac{15}{238}$ में रहने वाले परिवार का अर्वेध कब्जा/लाभार्थी कभी भी रहने नहीं आया। लाभार्थी का नरकसा स्थित महेन्द्र गैस सर्विस के सामने मुख्यमार्ग पर निजी आवास।

(16) $\frac{06}{81}$ → इस आवास में रहने वाली रेशमा जे. दिवारी को ग्राम-हवतपुर गढ़िया में लोहिया आवास मिला है। - 0

(17) $\frac{28}{441}$ → मिलेरी से रिमाउंड परिवार न. जून 2016 में रुपये 40000/- (चालीस हजार) में खरीदा, जो कि अर्वेध है।

(18) $\frac{41}{646}$ → शहर के प्रतिष्ठित रस्तोगी इन्टर कॉलेज में कार्यरत महेन्द्र नामक कर्मचारी का अर्वेध कब्जा।

(19) $\frac{30}{469}$ → जुलाई 2016 में रुपये 40000/- (चालीस हजार) में खरीदकर रहने वाले संजय पांडेय 310 जगदीश पर कई संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों विचाराधीन है। ~~अर्वेध कब्जा~~ ~~अर्वेध कब्जा~~

(20) $\frac{09}{136}$, $\frac{31}{486}$ → इन आवासों में गत वर्ष तक प्रति आवास रु० 2000/- (दो हजार) प्रतिमाह किराये पर ज्ञानशाला नामक विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

(21) $\frac{12}{192}$, $\frac{31}{486}$, $\frac{30}{428}$ → इन आवासों में प्रति आवास रु० 2000/- (दो हजार) प्रतिमाह किराये पर ज्ञानशाला नामक विद्यालय दो-दो शिफ्टों में संचालित हो रहे हैं। - 0

अतः श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय हो सविनय निवेदन है कि उपरोक्त आवासों सहित कौशिराम कॉलोनी हवतपुर गढ़िया के समस्त आवासों की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर आवास पात्रों हेतु वंचित आवासहीन लाभार्थी परिवारों को आवास आवंटित दिग्ग जाने का आदेश अग्रसारित करने का कष्ट करें। आपकी भलाग कृपा होगी।

सन्दर्भ की स्थिति देखें/Track Complaint Status

जनसुनवाई पोर्टल द्वारा केवल 3 माह पूर्व तक के निस्तारित सन्दर्भों का विवरण देखा जा सकेगा

new

➔ GET REFERENCE NO. THROUGH YOUR REGISTERED MOBILE NO./EMAIL

शिकायत संख्या/Complaint Number *

11000180132155

आवेदन का विवरण

शिकायत संख्या 11000180132155
 आवेदक कर्ता का नाम: नीतू सिंह तोमर (पोस्ट डाक्टरल फेलो)
 आवेदक कर्ता का मोबाइल नं: 9389766228,7376681850
 विषय: दरिद्र कल्याण योजनाओं के फर्जीबाडा असहाय विडो वृद्धा पेशन एवं अत्योदर गृहस्थ र
 नियत तिथि: 11 - Jul - 2018
 शिकायत की स्थिति: लम्बित
 रिमाइंडर :
 फीडबैक :
 फीडबैक की स्थिति:

आवेदन का संलग्नक

संलग्नक देखें

अवसरित विवरण-

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	आदेश दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	
1	आख्या	अमित सिंह(विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय)	08 - Jun - 2018	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -समाज कल्याण विभाग	कृपया नि गइ है।
2	आख्या	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (समाज कल्याण विभाग)	12 - Jun - 2018	निदेशक -समाज कल्याण	नियमनु
3	आख्या	निदेशक (समाज कल्याण)	13 - Jun - 2018	जिला समाज कल्याण अधिकारी- फर्रुखाबाद,समाज कल्याण विभाग	नियमनु

सबमिट करें

बन्द करें

प्रतिक्रिया

डॉ. नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डाक्टरल फेलो,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरसाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001

पत्रांक-256/अप्रैल-2018/दिनांक-04-04-2018

सेवा में, महामहिम राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

विषय: दरिद्र कल्याण योजनाओं के फर्जीबाई, असहाय विधवा-वृद्धा-बिकलांग-समाजवादी पेंशन एवं अन्योदय गृहस्थ राशन के दुरुपयोग पर अंकुश हेतु।

महोदय,

मैंने दरिद्रों की समस्याओं को निरीक्षण हेतु अन्योदय, बीपीएल, अन्योदय, विधवा-परिद-वृद्धा पेंशन, अन्योदय, पात्र गृहस्थी राशन सुधियों लेकर फर्रुखाबाद जिले के 7 ब्लकों की 317 ग्रामसभाओं व 6 नगरों के 117 वार्ड्स में घर-घर जाकर व्यक्तियों की दरिद्रता की स्थिति का अवलोकन एवं वार्ता कर ब्यान लिखे। जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त तथ्य निम्नलिखित हैं।

1. फर्रुखाबाद जिले के ग्रामीण व नगर क्षेत्रों में दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों को असहाय विधवा-वृद्धा-बिकलांग-समाजवादी पेंशन एवं अन्योदय-बी.पी.एल.राशन, आवास-शौचालय लाभ मिला/जारी है। इन अन्योदय धारकों में 90-100%, कोटा राशन धारकों में 70% एवं बी.पी.एल. धारकों 80-90% एवं असहाय वृद्धा-विधवा-बिकलांग एवं समाजवादी पेंशन धारकों में 80-95 %, लोहिया-वृद्धा आवास, शौचालय, गैस-विद्युत कनेक्शन पाने वाले सख्त व्यक्ति-परिवार हैं, जिनमें अधिकांश के पास बड़े लैंटर मकान, नगरों में हवेलियाँ, कार, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रकान, व्यापार, नौकरी, पेंशन, भूमि, प्लाट्स, उद्योग, प्रतिष्ठान, पैतृक धन-सम्पत्ति आदि का स्वामित्व है। अधिकांश वृद्धा-विधवाओं के लड़के शादीशुदा सख्त व्यक्ति हैं। अधिकांश बिकलांग पेंशनर्स ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ-सक्षम या मामूली घोट निशान या 40% से बहुत कम अपंगता होने और पर्याप्त पैतृक आय-सम्पत्ति के बावजूद पेंशन से रहे हैं तथा अनेक व्यक्ति और उनके परिजान नाम, जाति-वर्ग बदल कर एक ही परिवार में अनेक पेंशन-राशन ले रहे हैं। दरिद्रों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ फर्जी दरिद्रों द्वारा हड़पा जा रहा है और इस फर्जीबाई में स्थानीय शक्तियों तथा भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों का सहयोग-संक्षण जारी है। जिसके कारण राष्ट्रीय विकास योजनाओं का धन दुरुपयोग होकर दरिद्रता उन्मूलन योजनाएँ दरिद्रता विकास में बढ़ती हुई हैं।

2. गरीबों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं में निर्धारित नियमों की उपेक्षा कर फर्रुखाबाद जनपद में रजिस्टर्ड-फर्जी दरिद्रों द्वारा अर्थात् रहींसे द्वारा बड़ी मात्रा में गरीबों का गेहूँ, चावल, तेल, चीनी, सरकारी इंदिरा-लोहिया-काशीराम आवास, जमीन-प्लाट पट्टा, उद्योग, बीमा, समाजवादी-वृद्धा-असहाय-विधवा-बिकलांग पेंशन, दान-अनुदान व राष्ट्रीय सम्मान आदि फर्जीबाई से हड़प कर गरीब वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। सार्वजनिक विधियों एवं उद्देश्य तथा विकास का धन सार्वजनिक स्थलों-स्कूलों के स्थान पर न लगाकर रहींसे के निजी आवासों, प्लाटों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में लगाए गए/जा रहे हैं। राशन-कोटे की दूकानें रहींसे-रहींसे को धारित लेकर वितरण के रूप में राशन-तेल व्हील ले रहे हैं। राशन दूकानें निर्धारित रहींसे रहींसे में मात्र 1-2 दिन खुलकर अधिकारियों की अनुपस्थिति में थोड़ा-बहुत राशन वितरण होकर कागजी खानापूर्ति हो रही है। इन दूकानों से कोटे का राशन-तेल व्हील होकर खुलेआम बाजार की दूकानों पर बिक रहा है।

3. जिले के अधिकांश ग्राम सचिवालयों, बरातगृहों, सहकारी समितियों, स्वास्थ्य भवनों में दबंगों ने ताले डालकर अपैप कब्जे कर लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश केंद्र-उपकेंद्रों पर चिकित्सक की जगह दवाईयां एवं सफाईकर्मी रोगियों का इलाज कर रहे हैं। जिले के अनेक चिकित्सक-फार्मासिस्ट स्वास्थ्य केंद्रों पर यदाकदा जाकर उपस्थित साइन करते हैं। सरकारी स्कूलों में एस.एम.सी.एवं आचार्य-प्राचार्यों के फर्जीबाई चरम पर है। अधिकांश सरकारी विद्यालयों छात्रहीन, शिक्षणविहीन एवं शिक्षक बाह्यस्थ हैं। इन विद्यालयों में जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश निजी स्कूलों में पढ़ने वाले एवं कभी भी स्कूल न आने वाले भ्रष्टाभ्रमिक-कबाडी बच्चे हैं। फर्जी छात्र संख्या के आधार पर सरकारी स्कूलों में नौकरी-मर्ती जारी रखने के उद्देश्यसे फर्जीबाई चरम पर है। इन स्कूलों की एस.एम.सी.के अध्यक्षों सहित रसोईय-भण्ड्य संबंधित स्कूलों में न पढ़ने एवं निरक्षर होने के बावजूद इनकी पदासीनता मेहरवानी पर आधारित है। इन स्कूलों में पढ़ाई स्तर अत्यंत निम्न एवं घोटाला अत्यंत उच्च है।

4. अधिकांश गांवों में सफाई कर्मचारी के पद पर उच्च-पिछड़ी जाति-वर्ग के व्यक्ति पदासीन हैं जो स्वयं गलियाँ-नालियाँ सफाई नहीं करते हैं और बालीक जाति के श्रमिकों को 200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी देकर यदा-कदा गांव-सफाई कार्य की खानापूर्ति कराते हैं तथा ग्राम प्रधान एवं ए.डी.ओ.पंचायत को वेतन का कुछ हिस्सा नियमित देकर अपनी फर्जी बुयूटी की उपस्थिति हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर स्वयं बिना काम किए वेतन के नाम पर सरकारी धन हड़प कर गरीब वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। इस तरह रहींसे व्यक्ति-परिवार फर्जी दरिद्र बनकर सरकारी सुख-सुविधाओं को भोग कर मौज कर रहे हैं। जबकि वास्तविक दरिद्र ए.पी.एल.धारक गरीबजनकाईविहीन होने से बुरी तरह दरिद्रता ग्रस्त व संपर्क रहें हैं।

5. केंद्र-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता, आवेदन, स्वीकृत एवं धन आबंटन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें शासन के प्रशासकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की निगरानी एवं जवाबदेही उत्तरदायित्व निर्धारित है। इसके बावजूद फर्जी दरिद्रों द्वारा दुरुपयोग व वास्तविक दरिद्रों को लाभ की उपेक्षा देश-समाज के लिए घातक है।

अतः मुझ सहित अनुरोध है कि दरिद्र कल्याण योजनाओं अन्योदय, बीपीएल, असहाय विधवा-वृद्धा-बिकलांग पेंशन, आवास, गैस-विद्युत कनेक्शन लाभ में मानकीय दरिद्रों मात्र को ही देकर एवं योजनाओं का लाभ दुरुपयोग-हड़पने वाले फर्जी दरिद्रों से दूर रखा जाए। दबंगों-वस्तुली कार्यवाही कर सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का कष्ट करें। सत्यवाद।

आवर सहित।

दिनांक-04-04-2018

महोदय
(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University of Delhi

मिले हैं और शिक्षक-शिक्षिकाएं पढ़ाने के स्थान पर आपस में हास-परिहास करते मिले हैं तथा जनपद के लगभग 90 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न मिला है, जो अति गंभीर तथ्य है

8-यह कि, जनपद में कुछ ऐसे भी विद्यालय मिले हैं जहाँ सक्षम व्यक्ति धन-पद के प्रभाव में अपने निवास स्थान के विद्यालय में पदासीन हैं और उ.प्र. कर्मचारी आचरण संहिता एवं शिक्षा मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर ट्यूशन-कोचिंग व्यापार सहित राजनीतिक दलों में सक्रिय होकर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं।

9-यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त एवं शिक्षकों का अभाव है वहाँ बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कक्षाओं के जाकर शिक्षण कार्य करने में योगदान नहीं दे रहे हैं।

10-यह कि, शैक्षिक सत्र 16-17 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को अब तक पुस्तकें एवं ड्रेस न दिया जाने से छात्रों के लिए ड्रेस एवं पुस्तकों की उपयोगिता और औचित्य नहीं रह गया है।

11-यह कि, जिले के प्राइवेट एवं कांवेण्ट स्कूलों में बड़ी आयु के नर्सरी से कक्षा 5 के छात्र बने मिले हैं जिन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक पढ़ने के बावजूद जब उन्हें कोई योग्यता नहीं मिली तो पढ़ने-योग्यता के लिए यहाँ आकर निम्न कक्षाओं में एडमिशन लेना पड़ा और मन लगा कर पढ़ रहे हैं।

12-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई न होने के कारण वह प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं, वहीं पढ़ने जाते हैं यदा-कदा यहाँ आकर खाना, ड्रेस, पुस्तकें ले जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो हमें प्राइवेट स्कूल से बुला लिया जाता है।

13-यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में रसोइया एवं मिड-डे-मील व्यवस्था पृथक् होने के बावजूद एक ही स्थान पर खाना बनता है और आंगनबाड़ी के बच्चे भी खाते हैं।

14-यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनाप-शनाप धन व्यय किया जा रहा है इसके बावजूद ग्रामसभा के सफाईकर्मी से काम कराया जाना उचित नहीं है।

15-यह कि, उक्त स्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शिक्षा मानक, शिक्षक तथा शिक्षण व्यवस्थाएँ आदि छात्र-छात्राओं एवं साधारण जन-समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप सिद्ध हो रही हैं।

16-यह कि, जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई न होने एवं छात्रों के अज्ञानी बने रहने कारण कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने प्रतिपाल्य को किसी भी स्थिति में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ कि सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले रसोइया, प्रेरक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., डी.सी., ए.बी.एस.ए., बी.एस.ए. सहित सरकारी कर्मचारी-अधिकारी और नेता पदासीनता का वेतन-भत्तों की मोटी रकम लेने के बावजूद अपने प्रतिपाल्यों को इन विद्यालयों पढ़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर अपने प्रतिपाल्यों का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता है।

अतः अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। शिक्षकों-प्रबंधकों के फर्जीबाड़ों, फर्जी छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों-अनुदेशकों का वेतन, निजी आवास के पास स्कूल में तैनाती, छात्र हितों एवं मानकों की उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर, मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जाना चाहिए।
आदर सहित।

दिनांक-24-07-2016

भवदीया
(डॉ. नीतू सिंह तोमर)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow,
University Grant Commission, Delhi

de

डॉ. नीतू सिंह सेंगर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों ०१ / अप्रैल / 2015 / दि.09.04.2015

अतिआवश्यकिय

सेवा में,

जिला आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन अधिकारी,
जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।


विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु।
महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंह सेंगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित जिला आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन विभाग से संबंधित व्यवस्था एवं उनके मानकों तथा भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रुखाबाद जनपद में संचालित आपसे संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।


अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद में संचालित आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन विभाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-04-2015


(डॉ.नीतू सिंह सेंगर)

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई-दिल्ली-110002


मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
फर्रुखाबाद

डॉ. नीतू सिंह सेंगर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

फोन 9389766228

पत्रांक:-मीमों 09 / अप्रैल / 2015 / दि.09.04.2015

अतिआवश्यकीय

सेवा में,

जिला आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन अधिकारी,
जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसंपर्क में सहयोग हेतु।
महोदय,

मैं डॉ.नीतू सिंह सेंगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं में जनसामान्य की समस्याओं के कारण और निवारण जानने हेतु जनपद में संचालित जिला आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन विभाग से संबंधित व्यवस्था एवं उनके मानकों तथा भूमिकाओं की स्थितियों को जानने हेतु फर्रुखाबाद जनपद में संचालित आपसे संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद में संचालित आलू विकास/उद्यान/कृषि/सिचाई/पशुपालन/मत्स/वन विभाग से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग प्रदान कराने का कष्ट अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-09-04-2015

दीपिका मिश्रा
9/4/15

दीपिका मिश्रा
(वरिष्ठ सहायक)

(डॉ. नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow.

University Grant Commission, Delhi

डॉ. नीतू सिंह सेंगर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,

जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश।

विषय— दरिद्र व्यक्तियों की स्थिति के अवलोकन में सहयोग के स्थान पर म.हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज किसाननगला फर्रुखाबाद के लोगों की अभद्रता और अराजकता।

महोदय,

मैं डॉ. नीतू सिंह सेंगर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण-अध्ययन में कार्यरत हूँ तथा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं तथा उनके कारण और निवारण जानने हेतु जनपद फर्रुखाबाद के किसाननगला बड़पुर फर्रुखाबाद-नगर में दिनांक 12-03-2015 को जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में इसी मुहल्ले के निवासी राकेश पाण्डेय पुत्र रमेश पाण्डेय ने सामूहिक रूप से अपने को गरीब बताते हुए कहा कि इसी मुहल्ले के हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज में चपरासी पद पर वर्ष 2003 से चपरासी पद पर सुबह 8 से 5 बजे तक ड्यूटी करता है और उसे मात्र 2000 रुपये वेतन है जिससे उसका गुजारा नहीं हो पाता है। मैंने पूछा कि सरकारी मानक के अनुसार आपको वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, क्या आपने अपनी समस्या कालेज के प्राचार्य से बताई है? तो उन्होंने जबाब में बताया कि मैं जिस हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज में काम करता हूँ उसके मालिक के अनेक कालेज बाहर भी चलते हैं और वही सब कुछ व्यवस्था देखते हैं कालेज में न कोई पढ़ने वाला है और न कोई पढ़ाने वाला इस लिए कालेज में पढ़ाई तो होती ही नहीं है तो प्राचार्य और टीचर के नाम पर मात्र खानापूर्ति होती है और कार्यरत लोगों को मेरे जैसा, ऐसा ही वेतन मिल पाता है जिससे कालेज के कर्मचारी-शिक्षक मेरे जैसी गरीबी झेलने को मजबूर हैं, हमारी स्थिति देखने सुनने वाला कोई नहीं है अतः हमारी बी.पी. एल. के लिए संस्तुति दे दो तो मैंने उसकी समस्या के निराकरण हेतु कालेज प्रबंधक से सम्पर्क कर बात करने को कहा।

महोदय, किसाननगला फर्रुखाबाद में दि० 12-03-2014 को जनसंपर्क करते हुए पूर्वान्ह 11 बजे जब मैं हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज गेट के सामने निकली तो कालेज में कोई नहीं दिखा और मैं आगे बढ़ गई तो कालेज के उसी कर्मचारी रमेश पाण्डेय ने आवाज देकर कहा कि यहाँ आइए आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं, तो मैं लौटकर अपने पति एन. सिंह सेंगर के साथ हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज गई वहाँ राहुल तिवारी नामक व्यक्ति ने अपने को प्रबंधक बताते हुए कहा कि तुम्हारी हमारे कालेज के लोगों से पूछताछ करने की हिम्मत कैसे पड़ी मेरी ताकत को नहीं जानते अभी तुम्हें बताता हूँ व अभद्रता करते हुए यू.जी.सी. द्वारा नियुक्त के कागज दिखाने को कहा तथा कागज दिखाने पर हमारे कागज छीन लिए और कुछ आवश्यक प्रपत्र फाड़ डाले तथा बवाल करते हुए मारपीट करने की बात कहकर अभद्रता करके दहशत उत्पन्न की व पुलिस को पकड़ाकर बंद कराने की धमकी दी। तथा पुलिस बुलाने की बात कहने पर बदमाश ठाढ़ के लोग बोले कि हमारी ताकत से पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती तथा मोहल्ले वालों के हस्तक्षेप से हम कालेज से निकल सके।

उक्त घटना से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि महाराजा हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज फर्रुखाबाद के लोगों द्वारा सरकारी और शिक्षा के मानकों की जबरदस्त उपेक्षा कर अराजकता और दहशत के प्रभाव में गरीब-बेरोजगार लोगों से बेगार कराकर तथा छात्रों का शोषण कर डिग्री-नकल नाम पर धनउगाही से अवैध लाभ कमाकर समाज को दरिद्र बनाया जा रहा है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि महा. हरिश्चंद्र बी.एड. कालेज फर्रुखाबाद में मेरे साथ हुई अभद्रता में शामिल लोगों के बिस्मय दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही कर समाज को अराजकता से मुक्त कराने का कष्ट करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक:-12-03-2015

डॉ. नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
Post Doctoral Fellow-110002
University Grant Commission, Delhi

डॉ. नीतू सिंह सेंगर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

सेवा में, महामहिम राज्यपाल,
उत्तर-प्रदेश सरकार, राजभवन, लखनऊ।
माध्यम, जिलाधिकारी,
जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

दि.07.03.2015

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के साधारण जनसमाज-दरिद्रों के हितों की सुरक्षार्थ जापन।
महोदय,

फर्रुखाबाद जनपद के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक-सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था में निर्धारित मानकों की उपेक्षाओं के कारण साधारण जनता अति गंभीर समस्याओं से बुरी तरह संघर्षरत है। सार्वजनिक हितों की सुरक्षार्थ अधोलिखित समस्याएं-सुझाव आपके समक्ष विचार हेतु सादर प्रेषित हैं:

- 1- यहकि, सरकारी कोटे की वस्तुओं को जनता में वितरण हेतु बने राशनकार्ड्स में अंत्योदय-बी.पी.एल. कार्ड गरीबों को न देकर धनीवर्ग के लोगों एवं ए.पी.एल.कार्ड दरिद्रों को दिए गए हैं तथा राशन की वस्तुएं कोटेदारों द्वारा ब्लैक में बेंचकर बंदरबांट होता है एवं गरीबों का विकासधन हड़प लिया जाता है।
- 2- यहकि, सरकारी विकास की योजनाओं के अंतर्गत गरीबों में वितरित होने वाले आवास भूमि, लोन, पशु, शौचालय, बीमा वास्तविक पात्रों को न देकर अधिकांश लाभ अभीरों-नेताओं के संबंधियों को दिए गए हैं।
- 3- यहकि, फर्मों, फैक्टरियों, कारखानों, होटलों, नर्सिंगहोम, स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को पंजीकृत किए बिना 12-14 घंटे काम लेकर मात्र 2-3 हजार रूपए खैरातदेकर अमानुषिक शोषण किया जा रहा है।
- 4- यहकि, संस्थाओं में जनसंपर्क अधिकारियों, निरीक्षण-विजिट आवश्यक रजिस्ट्रों का पूर्णता अभाव है।
- 5- यहकि, पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में चक्रीय आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद पुनःपदासीनता हो रही है।
- 6- यहकि, संस्थाओं के अनेक कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ से अपने मूल आवास के नगर-मुहल्लों में तैनाती पाकर, राजनैतिक मंचों पर भाषणवाजी-दबंगई से ठेका-व्यापार लेकर धन उगाही की जा रही है।
- 7- यहकि, सरकारी निधियों का अनाप-शनाप धन दरिद्र एस.सी.-एस.टी. पर व्यय होने के बावजूद जिले का संपूर्ण एस.टी. एवं अधिकांश एस.सी. भूमिहीन, कंगाल, बेरोजगार, असहाय, अनपढ़, दरिद्र, रोगी बना हुआ है।
- 8- यहकि, ईट भट्टों व कोल्डस्टोर्स की लेबर्स, उनके परिजनों की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई है।
- 9- यहकि, ईट उद्योग स्वामियों द्वारा की गई 10-12 फुट भू-खुदाई के गढ़वे जनता के लिए संकट हैं।
- 10- यहकि, भीड़ भरे बाजारों-बस्तियों में पशु-पक्षियों की कटी-भुंजी लटकी लहशें आतंक का प्रतीक हैं।
- 11- यहकि, प्रत्येक स्तर की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष-प्रबंधक विद्यालय भूमि दान में लेकर व भवनों के निर्माण हेतु सरकारी अनुदान लेकर तथा छात्रों से ब्रिडिंग-फीस लेने के बावजूद विद्यालयों को अपनी निजी सम्पत्ति कहकर सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का जबरदस्त दुरुपयोग कर लाभ कमा रहे हैं।
- 12- यहकि अधिकांश संस्थाओं की प्रबंध-समितियों के निर्माण एवं संचालन में निर्धारित मानकों की जबरदस्त उपेक्षा होकर धनी-व्यक्ति विशेष वर्ग के लोग एवं उनके परिजन सगे-संबंधी मनमाने ढंग से पदासीन बने हुए हैं जिनकी सदस्यता, निर्वाचन, मनोनयन, पदासीनता, कार्यवाहियां पूर्णतया फर्जी ढंग से संचालित होती हैं और साधारणजनों के हितों की जबरदस्त उपेक्षाकर निजी लाभ कमाने में जुटे हुए हैं।

उक्त स्थितियों में जिले की जनता बुरी तरह समस्याग्रस्त है, अतः मानकों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही कर जनहितों की सुरक्षार्थ मानक अनुरूप संस्थाओं की व्यवस्था प्रदान करें।

आदर सहित।

दिनांक:-07-03-2015

(डॉ. नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

01c

डॉ. नीतू सिंह सेंगर,

एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

सेवा में,

अध्यक्ष जिलाशिक्षा समिति

द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद।।

विषय:-फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति।

महोदय,

मैंने माह फरवरी 2015 में फर्रुखाबाद जनपद के नगर-ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 50 प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखी एवं शिक्षकों, रसोइयों, शिक्षामित्रों, प्रेरकों, स्वीपरो, अभिभावकों, छात्र-छात्राओं से बातचीत की। मैंने निरीक्षण में अधिकांश विद्यालयों को अधोलिखित गंभीर समस्याओं से ग्रसित पाया।

- 1-जनपद के अधिकांश विद्यालयों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने पैतृक-निजी निवास के नगर-मुहल्लों में तैनाती पाकर तथा विद्यालय की धन-सम्पत्ति का दुरुपयोग का फर्जीबाड़ा कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कर स्वलाभ कमाने में जुटे हुए हैं एवं शिक्षणकार्य की जबरदस्त उपेक्षा कर रहे हैं।
- 2-अधिकांश विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने प्रतिपाल्यों सगे-संबंधियों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने को प्रोत्साहित कर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को बुरी तरह हतोत्साहित कर रहे हैं।
- 3- विद्यालयों के अधिकांश छात्र-छात्राओं को निर्धारित पोशाकें नहीं दी गई हैं, जिन्हें पोशाकें मिली हैं उनमें अधिकांश को मानक प्रतिकूल रेडीमेड पोशाकें दी गई हैं, अनेक छात्रों को 1 पोशाक ही दी गई है।
- 4- अनेक विद्यालयों के मिडडेमिल में गंभीर अनियमितता देखने को मिली। खाद्य सामग्री के फजी बिल बाउचर, छात्रों की मनमानी संख्या, चूल्हे के धुआयुक्त प्रदूषित शिक्षणकक्ष, मानक प्रतिकूल भोजन, 1 रोटी या कुछ तलेचावल का लंच, 2-4 छात्रों पर अनेक रसोइये, सड़ीगली सब्जीयुक्त भोजन व्यवस्थाएं देखीं।
- 5-विद्यालयों में आंगनबाड़ी एवं प्रेरको तथा फर्जी शिक्षकों का दबदबा एवं बाहरी लोगों को पढ़ाते देखा।
- 6-क्षेत्र के अनेक विद्यालय अपने निर्धारित क्षेत्र के स्थान पर दूर-दराज के क्षेत्रों में चलते देखे जहां अनेक शिक्षक-स्टाफ होने के बावजूद वास्तविक छात्र विहीन हैं और उनके शिक्षक अपने घर पर ही मिडडेमिल आदि की खानपूर्ति कर सरकारी वेतन भुगतान ले रहे हैं एवं दबंगई से बिलभुतान हो रहा है।
- 7-विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र गरीब परिवारों से जुड़े मिल और विकसित-धनी परिवारों के छात्र नहीं मिले जिसके कारणों में पता चला कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पढ़ाने के कोई रुचि नहीं रखते हैं।
- 8-अनेक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था 50-60 वर्ष पुरानी होने के बावजूद कुछ दबंग विद्यालय भवन को अपनी निजी संपत्ति बताकर अतिक्रमण कर शिक्षण अवरोध कर रहे हैं तथा किराए के स्कूलों के भवन स्वामियों द्वारा उ.प्र. किराया अधिनियम का जबरदस्त उल्लंघन कर अराजकता की जा रही है।
- 9-अनेक किराए के विद्यालयों में दबंगों द्वारा अवैध कब्जा दिखाई दिया एवं कार्यवाही की उपेक्षा दिखी।
- 10-अधिकांश में अग्निशमन, फर्स्टएड, शौचालय, रसोई, विद्युत, फर्नीचर आदि बुनियादी व्यवस्था का अभाव मिला तथा अनेक विद्यालयों में गंदगी दिखी, पानी के नल जाम दिखे, सप्लाई के नल जर्जर-टुटे मिले।
- 11-हाथीखाना विद्यालय लघुकमरे से जुड़ी टीनशेड में 2 विद्यालय चलते देखे जहां छात्रों की उपेक्षा देखी।
- 12-अधिकांश विद्यालयों की छतें टूटी-जर्जर मिली, विद्यालयों के मुख्य कक्षों में कबाड भरा कब्जा देखा।
- 13-छात्रों के नामों को उल्लासीधा जोड़कर शिक्षण के नाम पर अनेक फर्जी योजनाओं के चलते देखा।

मेरे द्वारा निरीक्षण के उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद नगर-ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक विद्यालय बुरी तरह दरिद्रताग्रस्त हैं जहां सरकारी विकास की योजनाएं पूर्णतया उपेक्षित दिखाई दे रही हैं जिस पर प्रशासन व शासन की गंभीरता एवं संवेदनात्मक सक्रियता अति आवश्यक है।

आदर सहित।

दिनांक:-03-03-2015

(डॉ. नीतू सिंह सेंगर)

पी.डी.एफ.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

DR. NEETU SINGH
Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

डॉ. नीतू सिंह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक: 245/जौलाई/2017/दि.08.10.2017

मोबाइल-9389766228

सेवा में,

अति गोपनीय एवं आवश्यकीय

मुख्यमंत्री,

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

विषय-IGRSपोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ सं.15000170276870 दि.24.8.17 में डूडा फर्रुखाबाद की आख्या का खंडन महोदय,

मेरे द्वारा दिनांक 14-7-2017 को प्रेषित पत्रांक-228/जुलाई/2017/दि 14.7.2017 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही के अन्तर्गत-IGRSपोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ सं.15000170276870 दि.24.8.17 पर डूडा फर्रुखाबाद की आख्या पत्रांक-520/IGRS/2017-18/दि.18.9.17 में वर्णित कथन-तथ्य आधारहीन, भ्रामक, असत्य है। जो सरकारी योजनाओं सहित देश और समाज के हितों को प्रभावित करने वाले हैं।

काशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैध कब्जों के संबंध में मेरे द्वारा आपको प्रेषित अनुरोध-पत्र पर आप द्वारा की गई कार्यवाही के अंतर्गत परियोजनाधिकारी जिला नगर विकास अभिकरण फर्रुखाबाद ने उचित दायित्व निर्वहन नहीं किया है। जबकि उक्त प्रकरण में उन्हें सरकारी संहिताओं का अनुपालन करते हुए गरीबों के लिए बने आवासों के आबंटन में व्याप्त अनियमितता दूर कर अपात्र आबंटियों एवं अवैध निवासियों के कब्जे हटाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी जिसकी उपेक्षा की गई है।

महोदय, मैं डॉ.नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई जो कि फर्रुखाबाद जिले के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण-संग्रह कर रही हूँ। मैंने दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के संग्रह-निरीक्षण में सहयोग हेतु फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी, मुख्यविकास अधिकारी, उपजिलाधिकारियों सहित संस्था-विभागों के प्रमुखों को अनुरोध-पत्र देकर कार्य में सहयोग मांगा था। दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के संग्रह-निरीक्षण कार्य में 7 ब्लकों की 316 ग्राम समाओं एवं 6 नगरों के 117 वार्ड्स के घर-घर जाकर जन-सम्पर्क एवं दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के अब तक संग्रह-निरीक्षण-जनसम्पर्क में जनपद के सामान्यजनों का भरपूर स्नेह व सहयोग मिला है।

महोदय, फर्रुखाबाद नगर के गरीबों हेतु बने सरकारी आवास मा.काशीराम शहरी गरीब आवासों में घर-घर जाकर दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का निरीक्षण किया तो पाया कि, 'आवासों के वास्तविक आबंटियों में अधिकांश धनी-व्यापारी चल-अचल सम्पत्ति के स्वामी हैं जो अपने निजी मकानों में रहते हैं जिन्होंने अपने नाम आबंटित आवास वर्तमान निवासियों को बेंच दिए हैं तथा वर्तमान निवासियों को 100 रूपए स्टाम्प पर बिक्रीनामा-नोटरी पत्र दिए हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक गरीबों को आवास उपेक्षित है।'

अतः आपसे अनुरोध है कि, परियोजनाधिकारी जिला नगर विकास अभिकरण फर्रुखाबाद द्वारा प्रेषित आख्या निरस्त कर मा.कां.श.गरीब आवासों के आबंटनों में व्याप्त अनियमितताओं, फर्जी गरीबों को आबंटन, वर्तमान निवासियों के अवैध कब्जों के विरुद्ध उच्चस्तरीय कार्यवाही जनहित में अवश्य करने का कष्ट करें।

आदर सहित।

दिनांक 08-10-2017

संलग्नक-(1) अध्यक्ष-सचिव, जिला नगरीय विकास अभिकरण को प्रेषित पत्र की प्रति।

(2) जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को प्रेषित पत्र दिनांक 14-07-2017 के प्रति की फोटो स्टेट प्रति

(3) अध्यक्ष-सचिव नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद को प्रेषित पत्र की प्रति।

(4) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक 14.7.2017 की प्रति

(5) अमर उजाला फर्रुखाबाद में प्रकाशित अराजकतयों का अड्डा बनी काशीराम कालोनी की फोटो स्टेट प्रति।

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow
University Grant Commission, Delhi

डॉ. नीतू सिंह तोमर, एम.ए., पी-एच.डी. (समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक:- 122/मार्च/2016/दि.14.03.2016
सेवा में,

मोबाइल-9389766228

गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

महामहिम राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली-110001.

विषय:- फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक-जूनियर विद्यालयों में शिक्षण-छात्र उपेक्षा पर अंकुश लगाने हेतु।
महोदय,

फर्रुखाबाद जनपद भ्रमण एवं जनसम्पर्क के दौरान मैंने फर्रुखाबाद जनपद में संचालित सैकड़ों सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर विद्यालयों तथा एडिड इंटर कालेजों में संचालित प्राइमरी एवं जूनियर कक्षाओं की व्यवस्था देखकर शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, सेवकों, रसोइयों, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, प्रबंधसमितियों के अध्यक्षों-सदस्यों एवं जनता से बातचीत की। जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित गंभीर अनियमितताएं-तथ्य प्रकट हुए। जिन पर अंकुश लगकर, प्राइमरी-जूनियर विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाना अति आवश्यक व समीचीन है। सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य-सुझाव कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित हैं।

1-यह कि, इंटर कालेजों में संचालित प्राइमरी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं के पंजीकरण एवं मिड-डे-मील तथा प्रबंधसमितियों में अध्यक्ष-सदस्यों की पदासीनता में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं से मानकीय शिक्षण एवं छात्र-समाज की जरूरत उपेक्षा देखने को मिली। इन कारणों से जहाँ एक ओर शिक्षण के मूल उद्देश्य बुरी तरह से प्रभावित होते मिले, वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों के शिक्षक-कर्मियों को बिना शिक्षण-कार्य के सरकारी वेतन की नौकरी सहित फर्जी कागजी खानापूर्ति के माध्यम से ड्रेस का धन एवं मिड-डे-मील का राशन हड़पा जाता मिला। अंकुश लगना चाहिए।

2-यह कि, जनपद क्षेत्र के एडिड कालेजों के प्राथमिक एवं जूनियर कक्षाओं में कार्यरत अधिकांश शिक्षक-कर्मचारी समान्य जनता के स्थान पर व्यक्ति विशेष के परिजन-सगे-संबंधी जाति विशेष के दबंग आपसी हितबद्ध हैं जो स्वयं विद्यालय शिक्षण कार्यों से प्रथक रहकर राजनीति में सक्रिय रहकर ठेकेदारी व्यापार में जुटे हुए हैं। यह स्कूली छात्रों को पढ़ाने में रुचि उत्पन्न करना तो क्या स्वयं भी पाठ्य-पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रखते हैं अर्थात् इनकी पात्रता एवं प्रमाणपत्र अति संदिग्ध संभावित है। इसके बावजूद शिक्षक का पद धारण कर प्रबंधतंत्रों के फर्जीबाड़े से वेतन हड़प रहे हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

3-यह कि, जनपद विद्यालयों के अधिकांश शिक्षक कर्मचारी धन एवं नेतागिरी के प्रभाव में सार्वजनिक स्थानान्तरण नीति की मनमानी उपेक्षा कर अपने निजी-पैतृक-स्थानीय आवासों के अति समीप दशकों से जमें हुए हैं एवं शिक्षणकार्य से दूर रहकर अवैध व्यापार लाभ कमाने में जुटे हैं। सरकारी वेतन भोगियों के ऐसे कार्य-प्रभाव जहाँ भ्रष्टाचार के द्योतक है, वहीं कर्मठता विध्वंशक हैं, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

4-यह कि, जनपद के प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों में कार्यरत लगभग 76 शिक्षक ऐसे मिले या बताए गए जो उच्च अधिकारियों-नेताओं, ठेकादारों-माफियाओं के परिजन, सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध हैं जो स्कूल न जाकर अपने घर पर पंजिकाएं-रिकार्ड रखे हुए हैं और यह बिना कार्य सरकारी धन हड़प रहे हैं।

5-यह कि, अधिकांश सरकारी प्राथमिक-जूनियर विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या अत्यन्त कम होने के बावजूद कार्यरत शिक्षकों की संख्या अत्याधिक मिली है, इसके बावजूद छात्रसंख्या में फर्जीबाड़ा कर अनुदेशक तथा मनचाहे लोगों को कार्यरत किया गया है और एक ही कक्षा में अनेक स्कूल लगते मिले हैं।

- 6-यह कि, 95 प्रतिशत स्कूलों के रसोइया एवं प्र.स.अ.अमानक पदासीन मिले जिनके बच्चे छात्र नहीं हैं।
- 7-यह कि, विद्यालयों की प्रबंध-समितियों के चुनाव-गठन में निर्धारित प्रावधानों की जबरदस्त उपेक्षा कर अधिकांश प्रधानाध्यापकों द्वारा रसोइया के पति-बेटों-रिश्तेदारों को मनमाने ढंग से पदासीन कर फर्जी बैठक-प्रस्तावों से कागजी खानापूति कर मिड-डे-मील, ड्रेस, मेंटीनेंस का धन हड़पा जा रहा है।
- 8-यह कि, अधिकांश विद्यालयों विशेषकर नगर-गांव के स्कूलों में निरीक्षण, शिक्षक-छात्र उपस्थित, छात्रसंख्या, ड्यूटी फर्जी बन रही है और इनमें फर्जी छात्रसंख्या प्रभावी है। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- 9-यह कि, स्कूलों में फर्जीबाड़ाकर छात्रों को मानकीय शिक्षा से वंचितकर, शैक्षिक योजनाओं के धन को बंदरबांट करने एवं विकास धन का दुरुपयोग कर स्वलाभ कमाने वालों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
- 10-यह कि, जिले में संचालित इंटर कालेजों में जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों से हाई-स्कूल व इंटर कक्षाओं का मनमाने ढंग से अध्यापन कार्य (बंधुआ मजदूरों के रूप) लिया जा रहा है, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- 11-यह कि, अधिकांश इंटर कालेजों के प्राथमिक-जूनियर छात्रों को मिलने वाला मिड-डे-मील छात्रों को न देकर शिक्षकों-प्रबंधकों द्वारा खाद्यान्न हड़पकर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है, तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- 12-यह कि, व्यक्ति-जाति विशेष के दबंग स्कूल प्रबंधतंत्रों एवं समितियों में मनमाने ढंग से पदासीन होकर स्कूलों की भूमि, दूकानों, भवनों की अनापशनाप आय-संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अंकुश लगना चाहिए।
- 13-यह कि, जिले के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक सरकारी खजाने से वेतन भुगतान लेने के बावजूद अन्य स्थानों, कालेजों, उद्योगों, संस्थानों, कंपनियों, एनजीओ. एवं राजनीतिक दलों में पदासीन होकर अवैध वेतन-भत्ते ले रहे हैं, अंकुश लगना चाहिए।
- 14-यह कि, जनपद के एडिड स्कूलों के अधिकांश प्रधानाध्यापकों-शिक्षकों के निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, एडिड स्कूलों को मिलने वाली सरकारी सुविधा-साधनों को यह लोग निजी स्कूलों में लगा रहे हैं।
- 15-यह कि, ट्रस्ट-समितियों एवं उनके पदाधिकारी-सदस्य अपनी निजी आय का भाग विद्यालयों को दान में न देकर उल्टे स्कूलों के विकास-धन, भवन, भूमि, दूकानों की आय व छात्रवृत्ति हड़प रहे हैं, अंकुश लगे।
- 16-यह कि, जनपद में संचालित अधिकांश एडिड विद्यालयों विशेषकर अल्पसंख्यक विद्यालयों की प्रबंधतंत्रों के सदस्यों द्वारा नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से जबरदस्त धन उगाही कर उनको नौकरी का झांसा देकर विद्यालयों में बंधुआ मजदूरों की भांति कार्य कराया जा रहा है एवं स्वीकृत पदों का वेतन अपने परिजनो, सगे-संबंधी आपसी हितबद्ध लोगों के नाम भुगतान लिया जा रहा है। तत्काल अंकुश लगना चाहिए।
- 17-यह कि, स्कूलों को अपनी विरासत-आय मानने वाले शिक्षकों-नेताओं के दबाव पर अंकुश लगना चाहिए।
- 18-यह कि, एडिड एवं सरकारी प्राइमरी-जूनियर स्कूलों में पंजीकृत अधिकांश छात्र-छात्राएं निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं जो स्कूलों के फर्जी पंजीकरण व बी.पी.एल.पेंशन तक सीमित हैं। अंकुश लगना चाहिए।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं, शिक्षकों-प्रबंधतंत्रों के फर्जीबाड़े, शिक्षण-छात्र हितों की उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगा कर, मानकीय शिक्षण व्यवस्था लागू कर शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें।

आदर सहित।

दिनांक-14-03-2016

भवदीया

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई-दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow

University Grant Commission, Delhi